

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 / 09 /2021

फा0 क्र0 1-2-90/21-ब(एक) 2520/2021- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

स.क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1.	अलीरापुर	श्री अरूण कुमार वर्मा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलीरापुर
2	श्योपुर	श्री प्रदीप मित्तल, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्योपुर

NOTIFICATION

F.N0.1-2-90-XXI-B(1)2520 /2021- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3), as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S.No.	Nam of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1.	Alirazpur	Shri Arun Kumar Verma, District and Sessions Judge, Alirazpur
2	Sheopur	Shri Pradeep Mittal, District and Sessions Judge, Sheopur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(गोपाल श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 / 09 / 2021

पृ० क्र० 1-2-90/21-ब(एक) 2520/2021,

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक D/1867,/III-6-5/10/III-6-6/84 दिनांक 18.06.2021 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर एवं श्योपुर, (म० प्र०)
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग